...यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला ...

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 180/2014

1. गायत्री देवी पुत्री स्व. श्री चौथमल पत्नी श्री मोहनलाल, जाति बैरवा, जन्म स्थान ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ हाल कारीगरों का मोहल्ला. गांधीनगर, आबूरोड, जिला सिरोही राजस्थान —: प्रार्थीया

विरुद्ध

1. ब्रजराज पुत्र स्व. श्री चौथमल, जाति बैरवा, निवासी बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान
3. श्रीमान उप पंजीयक किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान
4. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जर्ये शाखा प्रबंधक बान्दरसिन्दरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान। —: अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

उपस्थित वकील प्रार्थीः– श्री इन्द्रेश कुमार दिनांक 25/2/25
वकील अप्रार्थी :– श्री विजेन्द्र सिंह

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रेश कुमार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–(अ), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत संस्थित किया है। जिसमें प्रार्थीया को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीया ने उक्त वाद अधीन भूमि के समस्त सहखातेदारान को मूल वाद में पक्षकार बनाया है किन्तु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अनुतोष अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध ही वांछित होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। जहां–जहां इस प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 से 104 का उल्लेख आता है से आशय मूल वाद के प्रतिवादी से माना जावे। प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी 3, 4 की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 2 प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी 3, 4 की जन्मदाता माता है। प्रार्थीया के पिता चौथमल पुत्र काना थे। जिनका दिनांक 02.03.2000 को निर्वसितीय देहावसान हुआ था। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 चौथमल पुत्र काना के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस, उत्तराधिकारी है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की वंशावली प्रार्थना पत्र संलग्न प्रस्तुत है। उपरोक्त प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के पूर्वाधिकारी चौथमल पुत्र काना के अधिकार, खातेदारी की निम्नांकित विवरण की कृषि भूमि ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ, जिला अजमेर में स्थित थी :–

विवरण भूमि :–
(अ) खसरा संख्या 254 रकबा 2 बिस्वा किस्म गै०मु०चाह
खसरा संख्या 255 रकबा 51 बीघा 10 बिस्वा
योग 51 बीघा 12 बिस्वा
उपरोक्त भूमि में प्रार्थीया के पिता चौथमल 1/2 हिस्से के सहखातेदार, काबिज, काश्तकार थे।
(ब) खसरा संख्या 325 रकबा 105 बीघा 4 बिस्वा
खसरा संख्या 325/2303 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा
खसरा संख्या 325/2304 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

...बा 111 बीघा 9 बिस्वा उपरोक्त भूमि में प्रार्थीया के पिता 1/20 हिस्से के ...दार,काबिज, काश्तकार थे। एकीकरण जमाबन्दी संवत 2019 में 20 हिस्सेदार बहिस्सा ...र–बराबर दर्ज थे।

...) खसरा संख्या 813 रकबा 14 बिस्वा खसरा संख्या 817 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा
खसरा संख्या 901 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा
खसरा सख्या 953 रकबा 14 बिस्वा
खसरा संख्या 1070 रकबा 3 बीघा 4 बिरवा
खसरा संख्या 2151 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा
कुल योग 10 बीघा 4 बिरवा

जिसमें प्रार्थीया के पिता उपरोक्त चौथमल पुत्र काना 1/5 हिस्सो के सहखातेदार थे।

प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया अपने पिता के अधिकार, मिलकीयत की सम्पति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले हिस्से में से चौथमल पुत्र काना के 5 वारिसान होने के कारण अपने हिस्से, अधिकार के बाबत् राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण इस वाद के माध्यम से अनुतोष चाहती है। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 104 उपरोक्त भूमि के सहखातेदार है। इस कारण उन्हें वाद में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 104 के हक, हिस्से से प्रार्थीया को कोई विवाद नहीं है।

प्रार्थीया के पिता का निर्वसितीय देहावसान होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 (अ) में वर्णित भूमि के बाबत् जानबूझकर गलत रूप से सजरा बनवाकर, उपरोक्त चौथमल के अप्रार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ही वारिस दर्शाकर नामान्तरण संख्या 748 दिनांक 16.6.2000 राजस्व रिकार्ड में प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 (अ) में वर्णित चौथमल पुत्र काना के 1/2 हिस्से में स्वयं का एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दर्ज करवा लिया। उक्त नामान्तरण जन्म से ही शून्य होकर प्रार्थीया के हितों के विपरीत शून्य, निष्प्रभावी है। चौथमल पुत्र काना के कुल 5 वारिसान प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सख्या 1 व प्रतिवादी सख्या 2 लगायत 4 होने से प्रत्येक के नाम विरासत का अंकन होना चाहिये था। प्रार्थीया के पिता किशनगढ के सम्राट ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। मिथ्या, कपटपूर्ण तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज नामान्तरण से प्रार्थीया के हितों का पर्यावसन नही होता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि, Any order got In Fraud or misrepresentation in nullity and ab-initio-void.

7. प्रार्थीया के पिता का निर्वसितीय देहावसान होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 (ब) में वर्णित भूमि के बाबत् चौथमल पुत्र काना का देहावसान होने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर, नामान्तरण संख्या 748 के आधार पर स्वयं के एवं प्रतिवादी राख्या 2 के पक्ष में नामान्तरण संख्या 815 दिनांक 5.10. 2001 दर्ज करवा लिया। उपरोक्त नामान्तरण प्रार्थीया के हितों के विपरीत जन्म से ही शून्य, निष्प्रभावी है। क्योंकि चौथमल पुत्र काना के प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 कुल 5 वारिस होने से प्रत्येक 1/5 हिस्से के हकदार रहते है। इस परिपेक्ष में उपरोक्त नामान्तरण जन्म से ही शून्य, निष्प्रभावी है। प्रार्थीया को उक्त पहलू की जानकारी वर्ष 2010 में प्रथम बार प्राप्त हुयी तो प्रार्थीया बात पर भी आश्वस्त रही थी कि अप्रार्थी सख्या 1 ने राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम विरासत के आधार पर खातेदारी में दर्ज करवा दिया होगा। प्रार्थीया को हाल ही में यह सूचना प्राप्त हुई कि अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 (अ से स) में वर्णित प्रार्थीया ...के पिता के नाम दर्ज संपूर्ण भूमि पर स्वयं का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दिया है तथा ...परोक्त भूमि को वह खुर्द–बुर्द करने में उद्दत हो रहा है। प्रार्थीया को इस जानकारी पर आश्चर्य ...आ क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पैरा सख्या 8, 9 में वर्णित तथ्य समय यह ...दभाविक विश्वास दिलाया था कि प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 (अ. ब) में वर्णित भूमि जो प्रार्थीया के ...म दर्ज नहीं हैं के बाबत् प्रार्थीया एवं प्रतिवादी संख्या 3. 4 का भी विरासत का नामान्तरण दर्ज ...वा दिया जायेगा। उक्त सूचना पत्र प्रार्थीया ने राजस्व रिकार्ड का परीक्षण किया तो प्रार्थीया को ...चर्य हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया से छल कर, प्रार्थीया एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 से 1 ...त्याग विलेख प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 (स) में वर्णित भूमि के बाबत् निष्पादित करवाया है तथा ... के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 2 से भी प्रार्थना पत्र पैरा सख्या 4 (अ) में वर्णित भूमि के बाबत् ...याग विलेख निष्पादित करवाकर, उपरोक्त संपूर्ण भूमि स्वयं के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ... जिसका नामान्तरण संख्या 2202 दिनांक 20.1.2011 को दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरण ...ार्थीया के हितों के विपरीत जन्म से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। दिनांक 3.12.2010 को जो ...र्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया से मिथ्या व्यपदेशन कर कपटपूर्ण तरीके से हकत्याग विलेख निष्पादित ...या है। उससे भी विधिक रूप में प्रार्थीया के संपूर्ण भूमि में हक, अधिकारों का अवसान नही है। अन्यथा भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में हकत्याग विलेख के आधार पर भूमि के ...री, अधिकारों का पर्यावसन नही होता है। प्रार्थना पत्र पैरा सख्या 4 (अ. ब) में ...

के विरासत के आधार पर खातेदारी अधिकार न्यस्त रहते है। जब प्रार्थीया के नाम 4 (अ. ब) ...त भूमि का विरासत का नामान्तरण दर्ज ही नही हुआ तो हकत्याग का प्रश्न ही उत्पन्न नही ... इसके साथ साथ दिनांक 3.12.2010 के प्रलेख द्वारा प्रार्थीया ने उपरोक्त पैरा संख्या (अ. म. रा) वर्णित भूमि में अपने हकों का अभित्यजन भी नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया से मुगालते, मिथ्या व्यपदेशन कर उपरोक्त दिनांक 3.12.2010 का जो प्रलेख निष्पादित करवाया है उसकी जानकारी प्रार्थीया को दिनांक 1.11.2014 को प्रथम बार हुई है। जिसके विरूद्ध प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 सहित अन्य दोषियों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रस्तावित कर रखी है। प्रार्थीया के पिता के देहावसान पश्चात प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 (अ. ब) में वर्णित भूमि के बाबत् जो अप्रार्थी सख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में नामान्तरण दर्ज किया गया है। उस नामान्तरण से प्रार्थीया के साम्पतिक हित, अधिकार निरसित नही होते है। अन्यथा भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार चौथमल के देहावसान से ही प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी सख्या 2 लगायत 4 उनके प्रथम श्रेणी के वारिस होने से प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी सख्या 2 लगायत 4 में हक, अधिकार न्यस्त हो गये। इस परिपेक्ष में उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण अविधिक है तथा अप्रार्थी संख्या 2 से अप्रार्थी संख्या 1 ने जो हकत्याग विलेख निष्पादित करवाया है। वह भी अविधिक है। क्योंकि प्रथत तो प्रतिवादी संख्या 2 का उपरोक्त भूमि में वर्णितानुसार हक, हिस्सा ही नही था एवं इसके साथ साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 में भी हकत्याग विलेख से हकों का अन्तरण अनुज्ञात नही है एवं उपरोक्त बिन्दु के साथ–साथ हकत्याग विलेख बिना शर्त के ही निष्पादित होता है। उसमें व्यक्ति विशेष को अंकित करते हुये हकत्याग विलेख का निष्पादन अनुज्ञात नही है। उक्त हकत्याग विलेख के आधार पर प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 में वर्णित नामान्तरण संख्या 748 दिनांक 10.6.2000, नामान्तरण संख्या 815 दिनांक 5.10.2001, नागान्तरण संख्या 2202 दिनांक 20.1.2011 को दर्ज किया गया एवं उक्त नामान्तरण भी प्रार्थीया के हितों के विपरीत जन्म से ही शून्य. निष्प्रभावी होकर निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थीया के चचेरे भाई राजेन्द्र पुत्र राधाकिशन ने आपस में सांठ–गांठ कर रखी है। उपरोक्त राजेन्द्र पुत्र राधाकिशन फर्जी कूटरचित दस्तावेज बनाने का आदि है। उसके विरूद्ध फर्जी कूटरचित दस्तावेज बनाने बाबत् संगीन आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र पैरा सख्या 4 में वर्णित भूमि में प्रार्थीया उपरोक्त चौथमल के हिस्से में 5 वारिस होने से प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 (अ) में वर्णित भूमि में चौथमल के 1/2 हिस्से में से 1/5 जो संपूर्ण भूमि का 1/10 होता है तथा प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 (स) में वर्णित भूमि में चौथमल के 1/5 हिस्से मे से 1/5 अर्थात् संपूर्ण में 1/25 हिस्सा तथा प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 (ब) में वर्णित उपरोक्त चौथमल के 1/20 हिस्से में से 1/5 अर्थात् संपूर्ण में से 1/100 हिस्से की खातेदारी अधिकार प्राप्ति की अधिकारिणी है। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र पैरा सख्या 4 (अ. ब. स) में वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 को वाद गुणानुगण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वह प्रार्थीया के उपरोक्त भूमि में अपने पिता चौथमल पुत्र काना से प्राप्त विरासत से हक, हिस्से, अधिकार के रहते हुये उपरोक्त भूमि को किसी भी अन्य को विक्रय नही करें, नवीन रूप से भारग्रस्त नही करें। यदि अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर देगा जिससे विवाद बढ़ेंगे। प्रार्थीया को प्रथम दृष्टयां कृषि भूमि में निहित अधिकार समाप्त हो जायेंगे तथा प्रार्थीया के हिस्से, अधिकार की भूमि से वंचित होकर अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में संभव नही है। अतः प्रथम दृष्टया पर सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय शति तीनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है। श्रीमान से निवदेन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 01 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाते कि वह प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4(अ) में वर्णित ग्राम बान्दरसिन्दरी की कृषि भूमि खसरा राख्या 254 रकबा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 255 रकबा 51 बीघा 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 51 बीघा 12 बिस्वा तथा प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 (4) में वर्णित ग्राम बान्दरसिन्दरी की कृषि भूमि खसरा संख्या 325 रकबा 105 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 325/2303 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 325/2304 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा इस प्रकार कुल रकबा 111 बीघा 9 बिस्वा एवं प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 4 (स) में वर्णित ग्राम बान्दरसिन्दरी की कृषि भूमि खसरा संख्या 813 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 817 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 901 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 953 रकबा 14 बिस्वा खसरा संख्या 1876 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 2151 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा इस प्रकार कुल 10 बीघा 4 बिस्वा में अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रिकार्ड में दर्ज अविधिक नामान्तरण के आधार पर उपरोक्त भूमि में प्रार्थीया के हित, अधिकार निहित रहते हुये उपरोक्त भूमि को किसी अन्य को किसी भी रूप में अन्तरित नही करे, भारग्रस्त नही करें, मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिती बनाई जावे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध पारित की जावे।

पत्र को दिनांक 17.12.214 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। क 24.10.2018 को अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा जवाब पेश कर हिर किया कि अप्रार्थी संख्या 1 (बृजराज) की ओर से निम्न जवाब प्रस्तुत है प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 1 इस हद तक स्वीकार है की वादिया ने एक वाद अर्न्तगत धारा 88, 92 (अ), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया है, शेष कथन अस्वीकार है। वादअधीन भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के पिता श्री चौथमल की खातेदारी में थी जो कि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जे काश्त में है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 3 इस हद तक स्वीकार है की प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता का स्वर्गवास दिनांक 02.03.2000 को हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता ने अपने जीवन काल मे अपनी चल एंव अंचल सम्पति का मूल्यांकन कर अपनी पुत्रीया प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का जो हिस्सा बनता था, उन्हें उनकी शादी के समय अदा कर दिया, जो प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को शादी के समय अदा कर दिया, कृषि भूमि थी वो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से में रखी थी। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण से 4 स्व० चौथमल के वारिस है। यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 4 स्वीकार है। चौथमल पुत्र स्व० काना के अधिकार, खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है, वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी एंव कब्जे काश्त में है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 5 अस्वीकार है। प्रार्थीया गलत उल्लेख करती है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 के पिता ने अपने जीवनकाल में ही अपनी समस्त चल एंव अंचल सम्पति का मुल्यांकन कर अपनी पुत्रीयों के हिस्से आय का मुल्यांकन कर पुत्रीयों की शादी के समय अदा कर दिया गया तथा कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से रखी थी। जिस पर आज दिन तक अप्रार्थी संख्या 1 बतौर मालिक स्वरुप काबिज है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग कर दिनांक 13.12.2010 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अपनी माता के जीवनकाल (अप्रार्थी संख्या 2) के समय ही कर दिया। उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम इन्द्राज हो गई। वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त एंव खातेदारी मे निहित है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 6 अस्वीकार है। प्रार्थीया गलत उल्लेख करती है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 के पिता प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिनका राजनैतिक प्रभाव था। अपने परिवार के सदस्यों में बैठकर सम्पति का आकलन कर जो हिस्सा बनता था को प्रार्थीया एंव अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को अदा कर दिया गया था तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कृषि भूमि दी गई थी। प्रार्थीया एंव अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने उक्त भूमि का हक त्याग दिनांक 13.12.2010 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अपनी माता के जीवनकाल (अप्रार्थी संख्या 2) के समय ही कर दिया। उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम इन्द्राज हो गई। वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त एंव खातेदारी में निहित है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 7 अस्वीकार है। प्रार्थीया गलत उल्लेख करती है। प्रार्थीया अपने हिस्से की राशि नगद में शादी के समय अदा कर दिया गया था जो प्रार्थीया एंव अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 के पिता ने अपनी सम्पति का आकलन करके परिवार के सदस्यों की मौजूदगी मे कर दिया गया था जो की शादी के समय इनको अदा कर दिया गया। हक त्याग प्रलेख के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया गया है जो कि न्याय नियम अनुसार किया गया है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 8 अस्वीकार है। प्रार्थीया गलत उल्लेख करती है। प्रार्थीया स्वंय एंव अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 ने अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग 13.12.2010 को किया गया है। हक त्याग दस्तावेज विधि अनुसार निष्पादित किये जाने के पश्चात ही अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया गया। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 9 अस्वीकार है। प्रार्थीया गलत उल्लेख करती है। प्रार्थीया की शादी सम्पन्न घर मे की गई थी तथा प्रार्थीया को उसका हक एंव हिस्से अनुसार मुल्याकन कर राशि शादी के समय अदा कर दी गई थी। प्रार्थीया के मन मे खोट व लालच मे आकर दुर्भावना मे गलत वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 10 अस्वीकार है। प्रार्थीया गलत उल्लेख करती है। प्रार्थीया स्वंय एंव अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 ने अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग 13.12.2010 को किया गया है। हकत्याग दस्तावेज विधि अनुसार निष्पादित किये जाने के पश्चात ही अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया गया।प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 11 अस्वीकार है। प्रार्थीया गलत उल्लेख करती है। प्रार्थीया को अपने हिस्से के अनुसार शादी के समय पिता चौथमल द्वारा ही अदा कर दिया गया था। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 ने उक्त भूमि का हक त्याग दिनांक 13.12.2010 को कर दिया जो विधि अनुसार किया गया है जिसको की प्रार्थीया हक त्याग करने के पश्चात वापस प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 12 अस्वीकार है। प्रार्थीया गलत उल्लेख करती है। प्रार्थीया द्वारा हक त्याग करने के पश्चात ही उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम इन्द्राज किया गया है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 13 अस्वीकार है। प्रार्थीया गलत उल्लेख करती है। प्रार्थीया को अपने हिस्से की राशि शादी के समय प्राप्त कर चुकी है तथा अपने हिस्से की भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कर चुकी है। उक्त भूमि में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्तनीय

उपखण्ड अधिकारी

...या के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। प्रार्थीया ने अपने हिस्से की कृषि ...का हक त्याग दिनांक 13.12.2010 को कर चुकी है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता ने ...की सम्पूर्ण चल एंव अंचल सम्पति का मुल्यांकन कर शादी के समय परिवार के सदस्यों के सामने ...दा कर दी थी। इस प्रकार तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सुंतलन एंव अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 26.03.2024 को वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। हमारे द्वारा दिनांक 05.02.2025 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया, पत्रावली में मौजूद रजिस्टर्ड हक त्याग दिनांक 13.12.2010 क्रमांक 2010010282 से सिद्ध है कि प्रार्थीया द्वारा स्वयं उपपंजीयक किशगनढ के समक्ष उपस्थित होकर वादअधीन भूमि में निहित सम्पूर्ण हिस्से का हकत्याग कर दिया गया है। हमारे द्वारा धारा 212 राज. का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार प्रार्थना पत्र का विवेचन किया गयाः-

प्रथम दृष्टया प्रकरणः- वादअधीन भूमि में प्रार्थीया द्वारा स्वयं उपपंजीयक किशनगढ के समक्ष उपस्थित होकर हिस्से का हकत्याग अप्रार्थी संख्या 01 को कर दिया गया तथा प्रार्थीया अब वादअधीन भूमि में खातेदार नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

सुविधा का संतुलनः- :- वादअधीन भूमि में प्रार्थीया द्वारा स्वयं उपपंजीयक किशनगढ के समक्ष उपस्थित होकर हिस्से का हकत्याग अप्रार्थी संख्या 01 को कर दिया गया तथा प्रार्थीया अब वादअधीन भूमि में खातेदार नहीं है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षतिः- वादअधीन भूमि में प्रार्थीया द्वारा हकत्याग कर सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी के नाम दर्ज करवा दिया गया है जिसपर अब अप्रार्थी संख्या 01 काबिज काश्त है। अपूरणिय क्षति अप्रार्थी को कारित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25/2/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)